

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, खोरीमहुआ (गिरिडीह)।

भू-हदबंदी वाद संख्या-06/2023-24

अर्जुन महतो

- बनाम् -

सरयु महतो

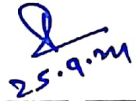
आदेश की सं० एवं तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई हस्ताक्षर एवं तिथि
25.9.24	अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्षों सहित उनके विज्ञ अधिवक्ता की उपस्थिति हाजरी दी गई। उभय पक्ष आपस में हिस्सेदार-गोतिया हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आदेश पर निर्धारित है। यह वाद प्रथम पक्ष के द्वारा भू-हदबंदी की धारा 16(3)(1) के अंतर्गत वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष ने दावा किया है कि खाता नं०-25, प्लॉट नं०-1099, रकवा-40 डी० भूमि अपने हिस्सेदारों के बीच घरेया बंटवारा कर दखलकार हैं और विवादित भूमि खाता नं०-25, प्लॉट नं०-1099, रकवा $3\frac{1}{3}$ डी० भूमि पर प्रथम पक्ष एरिया जोतकार होने के कारण विवादित भूमि को खरीदने का पहला अधिकार होता है। प्रथम पक्ष का यह भी कहना है कि द्वितीय पक्ष द्वारा बिक्री की गई भूमि के बदले दुसरी जगह हिस्से में दे दी गई है, फिर भी द्वितीय पक्ष ने उक्त भूमि को निबंधित केवाला सं०-148 दिनांक 15.02.2023 द्वारा बिक्री कर दिया गया है तब प्रथम पक्ष ने यह वाद लाया है। प्रथम पक्ष ने ई-चालान GRN 2316205248 के द्वारा मोबलग 100000/- रु० एवं GRN 2316205376 के द्वारा कुल 10,000/- रु० जमा किया है, जमीन जाँच अंचल अधिकारी, जमुआ से कराई गई जिन्होंने जाँच रिपोर्ट में प्रतिवेदित कि है कि विवादित भूमि खाता नं०-25, प्लॉट नं०-1099, रकवा-0.40 ए० के मध्ये $3\frac{1}{3}$ डी० भूमि द्वितीय पक्ष 1. सरयु महतो पिता स्व० गिरधारी महतो 2. विजय कुमार वर्मा पिता लालु महतो 3. मुकेश कुमार वर्मा पिता जय प्रकाश महतो 4. सुरेन्द्र प्र० वर्मा पिता लोकनाथ महतो सभी साकिनान प्राचीडीह हाल मोकाम परसन थाना बेंगाबाद से खरीदी प्राप्त है, जिसपर क्रेता का दखल नहीं है। स्थानीय पूछताछ में लोगों द्वारा बताया गया कि स्व० नेम महतो पूर्व में	

2

ही मौजा-परसन, थाना-बेंगाबाद में बस गया हैं। यथा यहाँ का जमीन बिक्री कर रहे हैं और वहाँ का जमीन कब्जा किया गया है, जिस कारण उभय पक्षों में विवाद है। चूँकि वादगत भूमि का खरीददार न तो प्रथम पक्ष के गोतिया हैं और न ही एरिया जोतकार हैं, जिसकारण भू-हदबंदी अधिनियम की धारा 16(3)(1) के आधार पर विवादित भूमि जिसका खाता नं०-25, प्लॉट नं०-1099, रकवा- $3\frac{1}{3}$ डी० जमीन जो मौजा प्रांचीडीह पर प्रथम पक्ष का खरीदने का पहला अधिकार बनता है। इस लिए द्वितीय पक्ष नं०-01 से 04 तक को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश के 15 दिन के अंदर खाता नं०-25, प्लॉट नं०-1099, रकवा- $3\frac{1}{3}$ डी० जमीन मौजा प्रांचीडीह जो उसने द्वितीय पक्ष नं०-05 मोहन महतो पिता स्व० नेम महतो से खरीद किया है का रजिस्ट्री केवाला उसी मूल्य व शर्त पर कर दे अन्यथा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह इस न्यायालय के द्वारा विवादित भूमि का केवाला करवा लेगा।

लेखापित एवं सत्यापित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
खोरीमहुआ।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
खोरीमहुआ।